

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
:: संचालनालय ::

ब्लॉक डी, भूतल, इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ0ग0)

website - www.tribal.cg.gov.in e-mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक/आदि0यो0/हॉस्पि-12/2023-24/781 अटल नगर, दिनांक 27/04/2023

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हॉस्पिटैलिटी (Guestship)
एवं होटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण हेतु नियम, शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप

1. लाभान्वितों की संख्या – योजनांतर्गत कुल 100 छात्र/छात्राओं (अभ्यर्थियों) को लाभान्वित किया जायेगा। बजट उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य परिवर्तनशील होगा।
2. हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण – यह प्रशिक्षण पूर्णकालिक होगा एवं प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में अन्यत्र किसी नियमित पाठ्यक्रम अथवा नौकरी/व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी।
3. प्रशिक्षण व्यय एवं आवासीय सुविधा – चयनित किए गए समस्त प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण व्यय शासन द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में रहने एवं मेस व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
4. चयन प्रक्रिया – प्रथम स्क्रीनिंग में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा तथा न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से निर्धारित लक्ष्य का अधिकतम 1.50 (डेढ़) गुणा अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रथम स्क्रीनिंग पश्चात कक्षा 12वीं के प्रावीण्यता का 80 प्रतिशत तथा काउंसिलिंग/साक्षात्कार का 20 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन प्रशिक्षण देने हेतु चयनित प्रशिक्षण संस्थान की सहमति से किया जायेगा। काउंसिलिंग/साक्षात्कार हेतु आवेदक को स्वयं के व्यय पर उपस्थिति होना होगा।
5. विज्ञापन का प्रकाशन पश्चात् अभ्यर्थियों का अनन्तिम चयन (Provisional Selection) किया जायेगा अपरिहार्य कारणों से इसे निरस्त भी की जा सकेगी।
6. अनिवार्य शर्तें :-
 - 6.1 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
 - 6.2 अभ्यर्थी की जाति छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के घोषित सूची में होना चाहिए। आवेदक स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा जाति सत्यापन प्रमाण पत्र रखता हो।
 - 6.3 अभ्यर्थी की आयु (01.01.2023 की स्थिति में) 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
 - 6.4 अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
 - 6.5 अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए तथा 10+2 स्तर में अंग्रेजी एक विषय होना चाहिए, जिसमें उत्तीर्ण होना चाहिए।
 - 6.6 आंखों की रोशनी सामान्य एवं लम्बाई के अनुपात में वजन होना चाहिए तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

क्रमशः पेज 2 पर ..

- 6.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित आय सीमा अनुसार परिवार की समस्त स्त्रोतों से आय रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 6.8 प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष होगी, (09 माह की कक्षाएँ एवं 03 माह Out Door Catering) जिसमें फ्रण्ट ऑफिस, किचन, फुड एण्ड बेवरेजेस सर्विसेज, हाऊस किपिंग, क्लास रूम, लायब्रेरी, फिटनेस, गुमिंग एवं इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि पर कक्षाएं संचालित की जावेगी एवं किसी स्थानीय या आऊटसोर्स करके प्रतिष्ठित कंपनी/संस्थान में ऑन-जॉब प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। क्लास रूम एवं ऑन-जॉब प्रशिक्षण की अवधि डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगी।

नोट :-

1. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
2. यथा संशोधित वर्ष 2013-14 योजना नियमावली विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(श्रीमती शम्मी आबिदी)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

**हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजनान्तर्गत
आवेदन पत्र का प्रारूप वर्ष 2023-24**

प्रति,

आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक डी, भूतल इन्द्रावती भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवीनतम रंगीन
फोटो चिपकाएं।
स्टेपल न करें

विषय :- वर्ष 2023-24 के लिए हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विज्ञापन के संबंध में मेरा विवरण निम्नानुसार है:-

- 1 नाम -
- 2 पिता/अभिभावक का नाम -
- 3 पिता/अभिभावक का व्यवसाय -
- 4 माता का नाम -
- 5 माता का व्यवसाय -
- 6 आवेदक के छ0ग0 में अनु.जाति/जनजाति वर्ग की सूची में जाति/उपसमूह का नाम
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उपजाति का नाम
(✓) टिक करें (सक्षम अधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें)
- 7 जन्म तिथि - (अ) अंको में
(ब) शब्दों में
- 8 आयु - (01.01.2023 की स्थिति में) वर्ष माह दिन
(कक्षा 10वीं बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 9 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है - हां नहीं
(✓) टिक करें (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 10 परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल आय
(सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें), सेवारत कर्मचारी की पुत्र/पुत्री नियोक्ता का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
- 11 पत्र व्यवहार का पता -
.....
- 12 स्थायी पता एवं दूरभाष नम्बर -
.....
.....मो0नम्बर.....

13 शारीरिक विवरण -

(अ) ऊंचाई-सेमी में फीट में

(ब) वजन-कि.ग्रा. में

(स) आंख की दृष्टि क्षमता-बिना चश्मा के

(द) आंख की दृष्टि क्षमता-चश्मा के साथ

(इ) कोई गंभीर बीमारी हो तो विवरण

14 शैक्षणिक योग्यता का विवरण-(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	विषय समूह का नाम	स्कूल का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्रतिशत	अध्ययन का माध्यम
1	10वीं						
2	12वीं						

15 आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न की जाने वाली अनिवार्य प्रमाण पत्र - (✓) टिक करें ।

15.1 कक्षा 10वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र। ☐

15.2 कक्षा 12 वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र। ☐

15.3 छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र। ☐

15.4 छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी जाति प्रमाण पत्र। ☐

15.5 पालक/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र। ☐

मैं पिता/अभिभावक श्री

निवासी.....

प्रमाणित करती/करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी।

16. सूचना भेजने हेतु ई-मेल आईडी0 (यदि कोई हो)

मोबाईल/फोन नम्बर अनिवार्यतः भरें

दिनांक

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर